न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 136/2018 **दायर दिनांकः 20/07/2018**

उनवान

1. भागीरथ आयु 32 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति धाकड़ निवासी बडौरा।
2. हेमन्त आयु 27 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति धाकड़ निवासी बडौरा।
3. कमलेश आयु 36 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति धाकड़ निवासी बडौरा।
4. कुन्ती आयु 34 वर्ष पुत्री रामदयाल जाति धाकड़ निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. रामदयाल आयु 54 वर्ष पुत्र गोपीलाल जाति धाकड़ निवासी बडौरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए) आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर।
प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर नागर।

आदेश दिनाक : 15/11/2018

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए) आर.टी.एक्ट एवं 136 एल.आर.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बडौरा तहसील अटरू में खाता सं0 436 ख0नं0 226 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 230 की 1.50 है0, ख0नं0 387 की 1.85 है0, ख0नं0 468 की 0.63 है0, ख0नं0 472 की 0.03 है0, ख0नं0 474 की 0.30 है0, ख0नं0 1204/2569 की 0.60 है0, ख0नं0 1279/2780 की 0.05 है0 ख0नं0 1279/2781 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 1284/2786 की 0.06 है0 ख0नं0 1360/2783 की 0.20 है0, ख0नं0 1410 की 0.28 है0, ख0नं0 1411 की 1.30 है0 ख0नं0 1412 रकबा 0.10 है0 ख0नं0 1413 रकबा 0.17 है0, ख0नं0 1415 रकबा 1.57 है0 कुल किता 16 का रकबा 8.88 है0 आराजी वादीगण के पिता रामदयाल प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता है। जिसके एक मात्र वारिस एवं पुत्र पुत्रीया हम वादीगण है। नकल जमाबन्दी 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। उक्त वर्णित आराजी पैत्रृक है जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता की उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का जन्म से अधिकार है। वादीगण के पिता उक्त वर्णित आराजी को कही रहन व बैचान करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है अगर वह ऐसा करते है। तो हमारे नैसर्गिक अधिकारों का हनन होगा अतः वादीगण का अधिकार है कि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा सम भाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने की घोषणा के अधिकारी है। जिसको बिना न्यायालय की सहायता के नही करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद पेश है। वादीगण के दादाजी

गोपीलाल के खाते की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061 से 2064 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादीगण को प्रतिवादी क्रम 1 के पिता ने काश्त करने को अलग अलग आराजी दे रखी है। लेकिन आराजी में हमारा हिस्सा दर्ज नही होने से कृषि विकास कार्य व खाद बीज खरीदने, बैंक से ऋण प्राप्त करने आदि समस्याओं का सामना करना पडता है। अतः वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में सयुक्त रूप से सम भाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावें जिसके हम अधिकारी है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार बैंक के रहन दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण के खाते दर्ज करने पर बैंक के रहन भार का नोट वादीगण के हिस्से पर दर्ज करने में वादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। वादीगण बैंक के ऋण को अदा करने के अधिकारी होगें। राजस्थान सरकार भूमिधारक होने से एवं राजस्व रिकार्ड का संधारण करने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा गया है। मामला मात्र नाम दुरूस्ती का है इसलिए उन्हें 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नही दिया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से हमारा नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज करने का मौखिक निवेदन के बाबजूद भी नही करने पर व अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षैत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री मय खर्चा वाद फरमाई जावें कि :–

(अ) वादीगण का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के साथ संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जाकर सम भाग राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को दिया जावें। तथा बैंक का रहन भार वादीगण के नाम समभाग राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायी जावे।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 3 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 4 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 5 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 6 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 7 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 8 स्वीकार है। वाद पत्र की मद नं0 9 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं0 10 स्वीकार है। अनुतोष वादीगण स्वीकार है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण का नाम प्रतिवादी क्रम 1 के साथ समभाग रूप से जोड कर वादीगण के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने तथा बैंक का रहन भार वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से पर समभाग रूप से दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान किया जावें।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि हमारे मध्य वादग्रस्त आराजी को लेकर आपस में पारावारिक राजीनामा हो गया है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 के साथ वादीगण का नाम विवादग्रस्त आराजी में संयुक्त रूप से समभाग रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय एवं डिक्री पारित करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तथा उक्त आशय का आदेश प्रतिवादी क्रम 2 को प्रदान करने की कृपा करें। राजीनामा पढ़कर सुनाया गया सही होना स्वीकार किया वादीगण की पहचान श्री चन्दालाल नागर व प्रतिवादी की पहचान श्री महावीर नागर एड़0 द्वारा की गई राजीनामा बाद तस्दीक शा0फा0 किया गया उभय पक्षकारान को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया विवादित आराजी ग्राम बडौरा सम्बत् 2061–2064 खाता सं0 101 किता 16 रकबा 8.88 है0 गोपीचन्द पुत्र श्रीनाथ धाकड़ सा0देह के खाते दर्ज है, श्रीनाथ की मृत्यु होने से नामा0 सं0 548 से प्रतिवादी क्रम 1 के नाम दर्ज हुई है, वर्तमान में खाता सं0 436 किता 16 रकबा 8.88 है0 प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज है। जो पैत्रिक सम्पत्ति होने से राजीनामा अनुसार वादीगण 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को 1/5–1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम बडौरा की खाता संख्या 436 किता 16 रकबा 8.88 है0 में वादी क्रम 1 ल 4 व प्रतिवादी क्रम 1 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, रहन का नोट खाते में दर्ज किया जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू, जिला बारां